फार्म की दर रू0 100/– प्रति + व्यापार कर = रू0 114

क्रमांक

निविदा प्रपत्र

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सचिवालय की ओर से दिनांक 01–04–17 से 31–03–18 तक के लिये राजभवन चिकित्सालय के लिये औषधियों के थोक क्रय के सम्बन्ध में ख्याति प्राप्त दुकानों से एतद्द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है:–

(अ) मुहरबन्द निविदा विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के कैम्प कार्यालय में दिनांक 18–04–2017 को 12:00 बजे अपरान्ह तक प्राप्त की जायेगी तथा निविदा समिति द्वारा दिनांक 18–04–2017 को 12:30 बजे अपरान्ह निविदा खोली जायेगी।

(ब) निविदादाता केवल टेण्डर खोलने के समय उपस्थित रह सकता है।

(स) निविदादाताओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगीं:–

1. आयकर एवं वाणिज्य कर में पंजीकरण होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। टैन/पैन नम्बर अंकित करें।
2. आपूर्ति हेतु माँगी जाने वाली औषधि 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध होनी चाहिए तथा औषधि मानकानुसार होनी चाहिए।
3. ख्याति प्राप्त दुकान से आशय है कि टेण्डर में दी गयी अन्य शर्तों के अलावा निम्न शर्ते भी पूरी करता हो:–

1. आपूर्ति अवधि के लिये वैध ड्रग लाइसेंस हो।
2. न्यायालय द्वारा दण्डित न हो।
3. न्यूनतम तीन वर्ष की औषधि बिक्री का अनुभव हो।
4. दुकान पर टेलीफोन के साथ फ्रिज की व्यवस्था हो। निविदादाता अपना टेलीफोन/मोबाइल नम्बर अंकित करें।
5. अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही चरित्र प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।
6. निविदा के साथ विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में अनुसूचित बैंक का रू0 1,000.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
7. सफल निविदादाता को अनुबन्ध के समय जमानत धनराशि रू0 5,000.00 मात्र का एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट जो दिनांक 31 मार्च, 2018 के लिए हो, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल के पक्ष में बन्धक करके जमा करना होगा।
8. निविदा देने वाले को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करना होगा कि उनका कोई निकट सम्बन्धी राजभवन या राज्यपाल सचिवालय की सेवा में नही है। यदि है तो उसका नाम एवं पदनाम अंकित करना होगा।
9. किसी भी प्रकार की सूचना असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. निविदा के सम्बन्ध में समर्थन कराने का कड़ा निषेध है, ऐसे निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा माँगे जाने की सूचना निविदा स्वीकार कर लिये जाने पर अनुबन्ध का एक भाग हो जायेगी।
12. निविदा में अंकित दरें राजभवन/राज्यपाल सचिवालय में माल की डिलीवरी तक की होंगी। अलग से कोई पैकिंग/भाड़ा इत्यादि देय न होगा।
13. मैक्सिमम रिटेल प्राइज से आशय दवा पर छपा फुटकर मूल्य है, जिस पर कोई अतिरिक्त कर विभाग द्वारा देय न होगा।
14. निविदादाता द्वारा निविदा में उदघृत मूल्य, दवा पर छपे मैक्सिमम रिटेल प्राइज से कम से कम 16 प्रतिशत कम होना चाहिए।
15. विभाग द्वारा उदघृत मूल्य पर कोई टैक्स देय नहीं होगा।
16. थोक क्रय की दवाओं का नाम एवं उनकी मात्रा राजभवन चिकित्सालय के आवश्यक्तानुसार कय किया जाएगा तथा मात्रा 20–25 % घट बढ़ सकती है, दवाओं का क्रय आपसी सहमति से एक बार अथवा किश्तों में की जायेगी।
17. निविदा की शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर सूचित किया जायेगा।
18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0 को होगा, जिस पर कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
19. स्वीकृत दरें वर्ष 2017–18 हेतु लागू होंगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा इन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन टेण्डर की अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी भी जा सकती है।
20. निविदा की विशेष शर्तें एवं पूर्ण विवरण राजभवन की वेब साइट www.upgovernor.gov.in पर देखी जा सकती है।

(नवीन चन्द्र)

अनुसचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0।

TERMS & CONDITION REQUIRED FOR THE APPROVED SUPPLIERS OF BULK PURCHASE OF MEDICINES FOR RAJ BHAWAN DISPENSARY LUCKNOW FOR THE FINANCIAL YEAR DATED FROM 01-04-2017 TO 31-03-2018

1- The suppliers shall have to take purchase order from dealing Medical Officer Incharge of Raj Bhawan.

2- The suppliers will be required to supply all medicine as ordered within 07 days.

3- The suppliers shall be to present bills in triplicate in favour of Medical Officer Incharge, Raj Bhawan Dispensary, Lucknow complete in all respects and within 7 days of order with delivery.

4- Name of medicines in the bills should be ligible.

5- All medicines supplied by you shall be well within expiry dates. Minimum expiry duration of the drugs should not less than one year from the date of supply and supply should be as near to manufacturing dates as possible.

6- In case of non-supply of medicines within prescribed period without acceptable genuine reasons like strike, holiday, non-working day, discount % shall be deducted from your bill as penalty (of the cost of medicines not supplied).

7- Medical Officer, Incharge, Raj Bhawan Dispensary, Lucknow concerned shall have all the rights to accept or reject the medicines brought by your drugs store or company.

8- Due to non supply of medicine within prescribed period without assigning reasons Medical Officer Incharge is free to purchase required drugs from open market price and the losses due to this LP of dispensary will be deducted from the security money.

9- Your contract is liable to be cancelled at any time without assigning any reason by Principal Secretary to the Governor of U.P.

10- Specified conditions of the tender and other details can be seen from of cost at the office of Raj Bhawan, U.P., Lucknow and also available on Website www.upgovernor.nic.in

11- M.O.I.C.of Rajbhavan will by his own discreation may purhase upto Rs.2,00,000/- worth of Drugs from the IDPL in Bulk.

Medical Officer Incharge
Raj Bhawan Dispensary,
Lucknow.

I have accepted and agreed to abide the above terms and conditions laid by Medical Officer, Incharge, Raj Bhawan Dispensary, Lucknow.